फा.सं. 19039/3/2008-संस्था-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एस आर-25 के अंतर्गत साइकिल (रखरखाव) भत्ते की दरों की समीक्षा।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप तथा इस विभाग के दिनांक 29 जून, 1993 के का. ज्ञा. सं. 19050/4/92 का अधिक्रमण करते हुए, एस आर- 25 के प्रावधान तथा उसके तहत जारी आदेशों के अधीन, राष्ट्रपति साइकिल (रखरखाव) भत्ते की दर 30/- रूपए से संशोधित कर 60/-रु. प्रति माह करते हैं ।

2. संशोधित वेतन ढांचे में देय महंगाई भत्तों के 50 प्रतिशत से अधिक होते ही इस भत्ते की दरें स्वतः 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगी ।

3. **ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे ।**

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

मधुलिका प्रसाद

(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को ।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रति (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को ।